निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र 1946 (श0)

(सं0 पटना 384) पटना, सोमवार, 15 अप्रील 2024

सं० 08/आरोप–01–27/2021 सा0प्र0––2542
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
12 फरवरी 2024

श्री विनोदानंद झा, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 524/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, नालन्दा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध प्रमादी मिलरों से बैंक गारन्टी/Deed of Pledge नियमानुसार प्राप्त नहीं किये जाने संबंधी आरोप पत्र खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5010 दिनांक 24.11.2021 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गम्भीरता के मद्देनजर रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। उक्त के आलोक में विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–687 दिनांक 19.01.2022 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के तहत श्री झा से स्पष्टीकरण/कारण पृच्छा की माँग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री झा का स्पष्टीकरण/कारण पृच्छा (दिनांक 29.06.2022 एवं दिनांक 12.07.2022) प्राप्त हुआ, जिसमें विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए उनका कहना है कि उठाये गये बिन्दुओं की गहन जाँच करायी जाय, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस निदेश की चर्चा पर आरोप पत्र गठित किया गया है, उसकी राज्य खाद्य निगम द्वारा गलत व्याख्या की गयी है ताकि मिलरों को लाभ पहुँच सके एवं उनकी संपत्ति सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में Auction करने से रोकी जा सके।

विभागीय पत्रांक–14309 दिनांक 17.08.2022 द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण/कारण पृच्छा पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक–273 दिनांक 20.01.2023 द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण/कारण पृच्छा पर राज्य खाद्य निगम का मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें निगम ने श्री झा के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया। निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा के उपरांत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा निगम के मंतव्य से सहमति व्यक्त की गयी। निगम का मंतव्य निम्नवत् है :–

(i) आरोपी पदाधिकारी द्वारा सरकार की मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में उनके द्वारा कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ii) मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की व्याख्या को ध्यान से पढ़ा जाए तो आरोपी पदाधिकारी का कथन स्वयं गलत सिद्ध हो जाता है। ऐसे सिक्यूरिटीज जो inadequate हो अथवा encumbered हो श्री झा को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था और यह जवाबदेही जिला प्रबंधक की ही थी।

(iii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन न कर सरकार की नीति एव मंशा को गलत ठहराया जा रहा है। श्री झा को Pledged संपत्तियों की जाँच एवं सत्यापन करनी थी, परन्तु इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया एवं मनमाने ढंग से एकरारनामा कर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी। पूर्व में हुई लापरवाही के लिए श्री झा को मुक्त नहीं किया जा सकता है।

(iv) भूमि से संबंधित सभी कागजात यथा खाता, खेसरा, रकवा एवं अन्य विवरणी का प्रावधान था, परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया गया, फलतः निगम को आर्थिक क्षति हुई।

(v) श्री झा द्वारा भंडारण क्षमता का उचित उपयोग एवं प्रबंधन किया जाना था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है।

(vi) श्री झा का यह कथन की उन पर बिहार पेंशन नियमावली का नियम–139 लागू नहीं होता है, सत्य नहीं है। आरोपी पदाधिकारी पर उक्त नियम लागू होता है।

श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण/कारण पृच्छा एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा की गयी एवं पाया गया कि प्रमादी मिलरों से कुल 87996448/–रू0 की राशि वसूल की जानी थी, जिसमें से श्री झा द्वारा नीलामवाद दायर किये जाने के कारण कुल 21130456/–रूपये की राशि मिलरों द्वारा जमा की गयी थी एवं कुल 66865992/– रूपये की राशि वसूली हेतु शेष रह गयी थी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा भी श्री झा के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक् विचारोपरांत श्री झा के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के आलोक में उनके **पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती 03 (तीन) वर्षो तक** करने का दंड अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विनोदानंद झा, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 524/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, नालन्दा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) का स्पटीकरण/कारण पृच्छा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। अतः सरकार/निगम को हुई क्षति के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के प्रावधानों के तहत पेंशन से ''**10 प्रतिशत राशि की कटौती 03 (तीन) वर्षो तक करने**'' का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजुला प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 384-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in